राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (304)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/अभि./टांका निर्माण/2016–17, जयपुर, दिनांक 8 सितम्बर, 2017

जिला कलक्टर,
बाडमेर, राजस्थान।

विषयः– वर्षा जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 02.01.2017 एवं दिनांक 25.01.2017।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण कार्य विभिन्न साईज व मापदण्डों के अनुसार करवाये जा रहे हैं, जिनकी लागत अलग–अलग होने के कारण असमानता, राजकीय धन का अधिक व्यय एवं आक्षेप व विरोधाभास आदि होने की स्थिति में राज्य में एक रूपता बनाये रखने की दृष्टि से निजी/व्यक्तिगत कृषकों/व्यक्तियों के लिये 30 हजार लीटर क्षमता के ही टांके निर्माण कराये जाने बाबत् प्रासांगिक पत्र दिनांक 02.01.2017 द्वारा एवं इससे अधिक क्षमता के टांके निर्माण करवाये जाने हेतु टांके की क्षमता व आवश्यक मापदण्डों का निर्धारण करने बाबत् संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला दर निर्धारण समिति को प्रासंगिक पत्र दिनांक 25.01.2017 द्वारा अधिकृत किया गया है।

इसी कम में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रासांगिक पत्र दिनांक 02.01.2017 में वर्णित टांके की क्षमता 30 हजार लीटर क्षमता के ही के स्थान पर टांके की क्षमता 30 हजार लीटर तक क्षमता माना जावे।

अतः लाभार्थी के पास नोशनल शेयर के अनुसार भूमि कम होने व महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत लाभार्थी द्वारा अन्य गतिविधियाँ (जैसे मेडबन्दी, बकरी आश्रय, वर्मी, कम्पोस्ट, नाडेप आदि) करवाये जाने के कारण आवश्यकतानुसार 30,000 लीटर से कम क्षमता के टांका निर्माण ही कराया जा सकता है।

8/9/17

(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
7. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
8. जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त, राजस्थान।
10. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरसेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त राजस्थान।
11. अधिशाषी अभियन्ता (अभि./ईजीएस), जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त, राजस्थान।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
13. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)